

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

पत्रांक
सेवा में,

193/ अ.स. सामान्य (स्कोप 10/2021)

दिनांक-08/4/2021

मुख्य विकास अधिकारी,
वाराणसी।

विषय :- नेशनल बिल्डिंग कोड(N.B.C) प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4104 दिनांक 27.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि "संत अतुलानन्द रेजिडेन्शियल एकेडमी, होलापुर, परमानन्दपुर, शिवपुर, वाराणसी" भवन से संबंधित उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर स्कूल भवन का स्थलीय निरीक्षण/जॉच किया गया। उक्त स्कूल "नेशनल बिल्डिंग कोड-2005" के सुरक्षा मानकों के अनुरूप निर्मित प्रतीत होता है (चेक लिस्ट संलग्न)। इस भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के मार्ग निर्देशन में न होने के कारण भवन के स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जिम्मेदारी स्कूल प्रबन्धन की होगी।

संलग्नक:- चेकलिस्ट मूल में।

B.S.A
10/4/2021

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी
दिनांक /04/2021

पत्रांक / /

प्रतिलिपि
शिवपुर, वाराणसी"

प्रधानाचार्य "संत अतुलानन्द रेजिडेन्शियल एकेडमी, होलापुर, परमानन्दपुर,
को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
वाराणसी

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा-1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

सन्त अतुलानन्द रेजिडेन्शियल एकेडमी, होलापुर, परमानन्दपुर, शिवपुर, बाराणसी

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जवाब
	भवन की चेक लिस्ट	आर्या
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/शक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी0) है?	नहीं
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि गर्मी एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	नहीं
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (छोटे से से 3.0 मी0) है?	हाँ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हाँ
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ
15	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (मी0) चौड़ाई 1.0 मी0 ऊँचाई 2.0 मी0 है?	हाँ

अवर अधीक्षिका
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
बाराणसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बाराणसी।

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	नहीं
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	—
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	—
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	—
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	—

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
वाराणसी।